फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत अतिरिक्त जिला कलेक्टर मुकाम टोंक

उनवान बजरंगा बनाम नायब तह. दूनी

मुकदमा अपील नं 39 सन् 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/12/2025	अभिभाषक अपीलान्ट उपस्थित है। प्रकरण समाअत अदालत एवं पूर्ण कोर्ट फीस पर है। अपील के साथ अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र स्थगन एवं प्रार्थना पत्र दफा 5 भी प्रस्तुत किया है। दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थना पत्र स्थगन पर अभिभाषक अपीलान्ट की एकतरफा बहस सुनी गई। अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि नायब तहसीलदार दूनी ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.10.2025 के द्वारा अपीलान्ट को भूमि आराजी खसरा नं. 1263, 1260 रकबा 1.05 हैक्टेयर वाके ग्राम जलसीना तह. दूनी पर अतिक्रमी मानकर भूमि से बेदखल करने, पेनल्टी कायम करने एवं 3 माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश पारित किया है। उक्त निर्णय पटवारी हलका की गलत रिपोर्ट के आधार पर किया गया है। अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत पेश करने का एवं सुनवई का कोई अवसर नहीं दिया गया है। इस कारण अपीलाधीन आदेश की क्रियान्विती ताफैसला स्थगित की जावें। हमने अभिभाषक अपीलांट की बहस को सुना एवं बहस पर मनन किया। हम प्रार्थना पत्र स्थगन को खारिज किया जाना उचित समझते है। अतः प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित मिसल तलब कर पत्रावली दिनांक 02.01.2026 को पेश हो। [हस्ताक्षर] अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक	पत्र 1290 24/12/2025 1326 31/12/2025
02/01/2026	अभि० अपीलान्ट व पैरोकार सरकार उप०। अपीलाधीन आदेश से संबंधित मिसल अप्राप्त। पत्रावली वास्ते इन्तजार मिसल दिनांक 8/1/2026 को पेश हो। [हस्ताक्षर] अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक	